श्रीयुत ठाकुर रूहानी स्टोन क्रशर मालिक श्रीमति रोशनी देवी, नदी स्तर खनन, गांव झांडिया, तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) द्वारा खनन क्षेत्र 15.20 हैक्टेयर (190.1 बीघा) तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) कुल क्षेत्रफल 190.01 बीघा (15.20) हैक्टेयर से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन संबम्धी कार्यवाही का विवरण

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 14.05.2013 को प्रातः 11:00 बजे गांव सेरी, तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) में श्री युत ठाकुर रूहानी स्टोन क्रशर मालिक श्रीमति रोशनी देवी, द्वारा गांव झांडिया, तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) द्वारा नदी स्तर खनन क्षेत्र 15.20 हैक्टेयर (190.1 बीघा) से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई आयोजित की गई। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0.-एसओ 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिलाधीश, सोलन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक-1 पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, खनन अधिकारी जिला सोलन, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन, प्रतिनिधि निदेशालय, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शिमला व पंचायत प्रधान रडयाली, नंगल व करयोडी एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण एवं गांव पचायतों के निवासी उपस्थित थे। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्नंण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री प्रवीण गुप्ता, पर्यावरण अभियंता द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उददेश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिलाधीश, सोलन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच पूछ सकते हैं। तत्पश्चात स्टोन क्रशर के प्रतिनिधि द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई। इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री प्यारे लाल, गावं पटेड फाल्लू, नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0 ।	स्टोन क्रशर के लगने से हमें कोई आपति नहीं है। इस क्रशर से लगते गांव को पूर्ण सहयोग मिलता है तथा इससे पूर्ण रूप से सहायता मिलती है। इस क्रशर से गांव वासियों को रोजगार भी मिला है जिससे हमारे बच्चों की बेरोजगारी का समाधान हुआ है। हमारे बच्चों को इधर-उधर भटकने के बजाय नजदीक ही रोजगार मिला रहा है तो हमें इसके लगने से खुशी की बात है। जिससे हमारे परिवार का पालन-पोषण भी हो रहा है। हमें अगर रोजगार न हो तो भीख मांगने को मजबूर हो जाएंगे। अतः क्रशर को चलने दें तथा इसे चलने देने में सहयोग दें। प्रशासन से भी अनुरोध है कि क्रशर को चलने देने में अनुमति	

		प्रदान करे ताकि हमारे बच्चों के रोजगार भी न छीने जाएं।	
2.	श्री दलजीत सिंह, गांव भूमिया, नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	मेरी जमीन पांच बीघे थी अब मात्र 4 बीघे बची है क्योंकि रात को अवैध खनन किया जाता है इसमें हमारा क्या होगा। अगर हमारी जमीनें खनन होती गई तो इसमें कौन जिम्मेवार होगा। अतः जारी की गई खनन पटटा से ही खनन किया जाये।	
3.	श्री इकबाल सिंह, गांव गनसोत, तह0 नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	हम क्रशर एवं नदी नालों के खनन से तंग आ चुके हैं। इससे हमें क्या राहत मिल पायेगी।	अतिरिक्त जिलाधीश, सोलन ने कहा कि केवल नदी स्तर खनन क्षेत्र से सम्बन्धित ही सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो दें।
4.	कैप्टन जगदीश सिंह, प्रधान गांव नंगल तहसील नालागढ जिला सोलन हि0प्र0।	मेरी राय है कि भूमि को लीज पर दिया जाना चाहिए ताकि लोग जो चोरी से खनन करते हैं उसमें राहत मिल सकती है। जो चोरी से खनन किया जाता है उसको मालिक भी भारी मंहगे दामों पर बेचते हैं। अगर जमीन को लीज पर दिया जाये तो उसी जमीन से खनन किया जा सकता है तथा विभाग को भी उसकी निगरानी करना आसान होगा। अगर कोई अवैध खनन करता है तो विभाग उसकी जबावदेही कर सकता है। वह दुसरी जमीन से कभी खनन नहीं कर सकता है। अतः विभाग जैसे एसडीएम, पुलिस एवं खनन अधिकारी के पास भर चोरी की शिकायतें कम आऐगी।	
5.	श्री बाल कृष्ण शर्मा, हि0 प्र0 जन सेवा समिति, नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	सरकार से अनुरोध है कि नदी, नाले लीज पर न दिये जायें। क्योंकि खनन विभाग के मापदण्ड अच्छे नहीं हैं। ग्राउण्ड बाटर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। नदियों से छेड-छाड को तुरन्त बंद किया जाये जिससे 6000 एकड जमीन खत्म हो चुकी है। अतः हम लीज न होने देंगे। इसलिये सरकार लीज प्रथा को खत्म करे। खासकर नदियों की लीज न हो। क्योंकि कोई पानी की जांच नहीं होती। ग्राउण्ड बाटर बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। कोई पौधा रोपन नहीं किया जाता है।	परियोजना स्थापक की ओर से:- अगर नदियों से खनन न हो तो पहाडो से आने वाला मल नदी की दिशा को बदल सकता है तथा खनन पटटों का सही तरीकों से उपयोग न करने पर इसका पर्यावरण पर प्रभाव पड सकता है।
6.	श्री दयानन्द ठाकुर, गांव डाडी भोला नालागढ।	जैसा कि कहा जा रहा है कि सही तरीके से खनन न हो तो नदी का बहाव भी नीचे की तरफ जाता है। क्योंकि हमारा एरिया भी पंजाब से लगता वहां तो जे0सी0बी0 से खनन किया जाता है। इसलिये वहां की और नदी का झुकाव ज्यादा हो जाता है। अगर क्रशर न होंगे तो हमारी	

		सडकों में पडे गढे कैसे ठीक हो सकते हैं। इसलिये क्रशर नहीं चलेंगे तो मकान कैसे बनेंगे। क्रशर आज नहीं पहले से चलें है। हमारे रोजगार के साधन भी इन्हीं पर निर्भर हैं।	
7.	श्री इकबाल सिंह, गांव गनसोत, तह0 नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	हमारी जमीन का क्या होगा क्योंकि खनन से हमारी जमीन की कटाई हो रही है। जिनका घर उजड रहा है उसका क्या होगा।	परियोजना स्थापक की ओर सेः- अगर खनन कार्य के मुताबिक देखें तो आपका एरिया हमारे खनन एरिया से कहीं दूर है। अतः इसके प्रभाव का कोई मतलब ही उत्पन्न नहीं होता।
8.	श्री टेक चन्द, गावं पलासड पंचायत नंगल नालागढ, जिला सोलन हि0प्र0।	जन सुनवाई में आने पर सर्वप्रथम में सबका धन्यवाद करता हूं। मैं भी पर्यावरण संघर्ष समिति का सदस्य हूँ। अब पहले से ज्यादा खनन हो रहा है तथा रेट भी बढ चुके हैं। जो भी जमीन लीज डीड पर होती है उसमें उतना ही खनन होना चाहिए। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि कम्पलैंट अगर पुलिस या खनन विभाग मे होती है तो लीज डीड के बाहर अगर खनन होता है तो उसे रदद किया जाना चाहिए। लीज डीड के अनुसार ही खनन किया जाना चाहिए। जो ट्राली पहले 1200 रूपये की थी अब उसका दाम भी 3000रूपये हो चुका है। सरकार के मापदण्डो के अनुरूप ही खनन हो। हम लीज के खिलाफ नहीं है खनन सही तरीके से हो एवं स्वयं उसके जिम्मेवार होंगे।	
9.	श्री नरदेव पास्सी जी, बददी जिला सोलन हि0प्र0।	लीज डीड का बलैन्स होना चाहिए। जो लोग चोरी करते हैं उसके खनन पटटे का पूर्ण निरीक्षण होता रहना चाहिए। सही तरीके से खनन का जांच होती रहनी चाहिए। अगर कोई गडबड पाई जाती है तो खनन पटाधारी की जिम्मेवारी होनी चाहिए।	

जन-सुनवाई के समापन से पूर्व कार्रवाही के सार को अतिरिक्त जिलाधीश, सोलन (हि.प्र.) द्वारा उपस्थित लोगों के समक्ष बताया गया। तत्पश्चात इसका विवरण रिकार्ड किया गया। अन्त में अतिरिक्त जिलाधीश, सोलन द्वारा लोगों का आभार व्यक्त किया गया।

अतिरिक्त जिलाधीश,
सोलन, जिला सोलन हि.प्र.
Addl. Deputy Commissioner
Solan Distt. Solan (H.P.)

संलग्नक-I

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 14.05.2013 को प्रातः 11:00 बजे गांव सेरी, तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) में श्री युत ठाकुर रूहानी स्टोन क्रशर मालिक श्रीमति रोशनी देवी, द्वारा गांव झांडिया, तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) द्वारा खनन क्षेत्र 15.20 हैक्टेयर (190.1 बीघा) से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं लोगों की उपस्थिति।

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी/ग्राम वासी का नाम व पता	पद	हस्ताक्षर
1	R. D. HERNOTE	Tehsildar, NG	[signature]
2	B. K. [illegible]	AEE	[signature]
3	Dr Sanjay Sharma	Scientific Officer	[signature]
4	Suresh Kumar Bhardwaj	Deptt of Env, S&T / Dist Mining Officer Solan	[signature]
5	Dr. K. L Dhiman	Dy. Director Agril Solan	[signature]
6	R. S. Rana	Supdt. PCB	[signature]
7	Chaman Thakur	Chairman, PCB	[signature]
8	Prem Saklani	Sr. Asstt. HPPCB	[signature]
9	Sohan [illegible]		
10	F C Chandel		[signature]
11	Daljeet Singh		Daljeet
12	Iqubal Singh		इकबाल सिंह
13	इन्द्रपाल सिंह		इन्द्रपाल सिंह
14	Amrik Singh		Amrik Singh
15	Daya Nand Thakur		[signature]
16	Bani Chand		[signature]
17	Gagan Deep		[signature]
18	Kiranjeet Kaur		[signature]
19	Kashmir Kaur Par	Pardhan	[signature]
20	Gurmeet Singh G Singh		G Singh
21	Prem chand	Up Pardan	[signature]
22	तरसेम सिंह		तरसेम सिंह
23	हरभजन सिंह	V.P.O Dabhota Sports Club President	[signature]
24	प्यारे लाल	V.P.O [illegible] [illegible]	[signature]

25	Birmi Chand	Villager	[signature]
26	Bhupinder Singh	do	Bhupinder Singh
27	Baljit Singh	- do -	Baljit Singh
28	Tassa Ram	- do -	[signature]
29	Mashkeen	- do -	[signature]
30	Gambir Dutt	- do -	Gambir Dutt
31	Mohinder Singh.	do	Mohinder Singh
32	Bishan Lal	- do -	Bishan Lal
33	Ricky	- do -	[signature]
34	Tarsem Lal	- do	[signature]
35	Harpal	- do -	Harpal
36	Satnam	- do -	Satnam
37	[illegible]	do	Param
38	Dato Wala	Member	[signature]
39	Harmeet Singh	Dabkhota	Harmeet Singh
40	Manjit Singh	Dabkhota	[signature]
41	Gagandeep	Dabkhota	Gagandeep
42	[illegible]	Dabkhota	[illegible]
43	Jasbir Singh	BLS Panch.	Jasbir Singh
44	Joginder	Joginder	Joginder
45	Gurdev Singh	Seri	Gurdev
46	Pawan Kumar	Mangal[illegible]	Kumar
47	Johwar Kumar	Kashmir Pur	[signature]
48	Jasbeer Singh	'do -	Jasbeer
49	Surinder Singh	[illegible]	Surinder Singh
50	Vijay Kumar Dhiman	V.P. Pardan Kalpa	Vijay Kumar

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 14.05.2013 को प्रातः 11:00 बजे गांव सेरी, तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) में श्री युत ठाकुर रूहानी स्टोन क्रशर मालिक श्रीमति रोशनी देवी, द्वारा गांव झांडिया, तहसील नालागढ, जिला सोलन (हि.प्र.) द्वारा खनन क्षेत्र 15.20 हैक्टेयर (190.1 बीघा) से रेत, बजरी व पत्थर के संग्रह के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं लोगों की उपस्थिति।

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी/ग्राम वासी का नाम व पता	पद	हस्ताक्षर
51	Ram Sawroop	Kaylu	[signature]
52	Jai Parkash	Farmer	Jai Parkash
53	TEK CHAND CHANDEL	farmer	[signature]
54	Capt Jagdish Singh	Ex Serviceman	[signature]
55	भगतराम	किसान	भगतराम
56	Pirar Lal	Panch	[signature]
57	Surender Si.	Farmer	[signature]
58	जीत राम	मेम्बर	जीतराम
59	धर्मपाल	Villager	धर्मपाल
60	कुलदीप सिंह	villager	[signature]
61	नत्थू राम	villager	नत्थू राम
62	सदीक मुहम्मद	villager	सदीक
63	लखराम	-do-	लखराम
64	रफी	-do-	रफी
65	मनोज		मनोज
66	[illegible]	do	[signature]
67	Sandeep	do	Sandeep Kumar
68	AKHTAR		AKHTAR
69	Chotu Ram		Chotu Ram
70	Jasbir Singh		[signature]

71	Hamid	villager	Hamid
72	सुरेश	do	सुरेश
73	सुरेन्द्र	do	सुरेन्द्र
74	Mazad	do	Mazad
75	सुरेन्द्र	do	सुरेन्द्र
76	Gulneet	do	Gulneet
77	Tassemlal.	do	Tassemlal.
78	Gorcharn	do	Gorcharn
79	Padam Singh	do	Padam Singh
80	BHLAA	do	BHLAA
81	शेरू	do	शेरू
82	Prem Chand	do	[illegible]
83	Subhashchand	Accountant	सुभाष
84	Anup Kumar	Shopkiper	[illegible]
85	सुलेमान	villager	सुलेमान
86	Shaeib	do	Shaeib
87	Manjur MOHD	do	Manjur MOHD
88	[illegible]	do	[illegible]
89	Davinder Singh	farmer	[illegible]
90	Rajesh	"	[illegible]

Proceedings of Environmental Public Hearing of M/s Thakur Ruhani Stone Crusher, owner Smt. Roshani Devi, of river bed mining for the collection of sand, Bajari, stone of mining area 15.20 hectare (190.1 Bighas) at Vill. Seri (Jhardian lease area), Teh. Nalagarh, Distt. Solan, H.P

Environmental public hearing was organized by HP State Pollution Control Board on 14.05.2013 at 11:00 AM at Vill Seri, Teh. Nalagarh , Distt. Solan, H.P. of M/s Rohani Stone Crusher, Vill. Seri(Jhandian Lease Area), Teh. Nalagarh, Distt. Solan, H.P. for river bed mining area 15.20 hectare (190.01 bighas) for the collection of sand, bajri & stone. This environmental public hearing was held as per EIA notification no. SO 1533 dt. 14.09.2006 under the chairmanship of Additional Deputy Commissioner, Solan. The attendance sheet of the present people is attached as annexure-1. During this public hearing Tehsildar Local Administration Nalagarh, Distt Mining Officer Solan, Deptt. of Science, Environment & Technology, Regional Transport Officer Solan, & Panchayat Pradhans of Radiyali, Nangal and Karyodi and local people were present in the public hearing. First of all Sh. Parveen Gupta Env. Engineer HPPCB welcomed Additional Deputy Commissioner. Sh. Parveen Gupta Environmental Engineer addressed the Govt. officers and people were present in the public hearing and made aware the public regarding motive of public hearing. After that, Regional Officer HPPCB invited the Environmental Consultant of Rohani Stone Crusher to deliver their technical details regarding river bed mining activities. Then Additional Deputy Commissioner asked the people to give their suggestions, views and queries regarding mining activities.

After that, with due permission of chairman, the proceedings of environmental public hearing was started and the entire proceedings were video graphed. The technical consultant of company Mr Bishth introduced about the project and also discussed all technical aspects w.r.t. Air, Water & Noise. During the course of public hearing several issues/queries were raised by the people and comments/reply on the same are as below:

Sr. No	Name and Address	Issues	Comments
1.	Sh. Pyare Lal, Vill. Patedh-Fallu, Nalagarh, Distt. Solan, H.P.	He said that I have no objection for carrying out the mining activities in the rivers. To operate stone crusher, the adjoining people get benefited in terms of employment. Because our children will get employment in stone crusher instead of wandering here and there. We are very happy that due to stone crusher, our families are living in a good condition, otherwise we are in situation of begging. I requested the administration to give the permission to start the mining	No Comments

		activities to operate the stone crusher.	
2.	Sh. Daljeet Singh, Vill Bhumiya, Nalagarh, Distt. Solan, H.P.	He raised query regarding illegal mining activities in the area. He said that I have 5 bighas land, but now it is reduced upto 4 bighas due to illegal mining. He requested to the administration to stop the illegal mining and lease carried out their mining activities in defined area, which was allotted by the HP Govt.	No Comments
3.	Sh. Ikbal Singh, Vill. Gansot, Nalagarh, Distt. Solan, H,P,	He said that they are in trouble from setting up of stone crushers and rivers bed mining activities. How they will get relief?	In this regard Additional Deputy Commissioner requested to the public to raise their issues/queries related to the river bed mining activities only.
4.	Capt. Jagdish Singh, Pradhan, Vill. Nangal, Nalagarh, Distt. Solan, H.P.	He said that land should be given to the stone crusher operator on the lease based. Due to which the theft of mining/encroachment will be reduced. If the land will be on lease based, the mining will be according to Govt New Mining Policy guidelines and concerned Deptt. can also to keep watch and vigil on it. In case of illegal mining, then Deptt. will be the answerable for the same. Due to this, the complaints regarding illegal mining will be less in numbers in concerned deptt. i.e. SDM, Police and Mining Officer.	No Comments
5.	Sh. Bal Krishan Sharma, Him Parivesh (NGOs) Nalagarh, Distt. Solan, H.P.	He requested the Govt. that river, nalahs should not given on lease, because leases are not complying with the norms of new guidelines mining policy. Due to this illegal mining, the water level of ground water is going very low and contaminated. The mining activities in the river should be immediate stopped, because about 6000 acre land has been already destroyed due to illegal mining. So that we are in protest regarding grant of mining lease of	Environmental consultant of the project said that if mining activity will not be carried out in rivers, the flow of water of hills will change the direction of rivers and proper utilization of river bed can affect on the environment.

		activity shall be carried out as per new guidelines mining policy of HP Govt. The trolley which was amounting to 1200/- previously, now its cost increased upto Rs. 3000/- at present. He further said that the mining activities shall be carried out according to the norms of mining policy of HP Govt. We are not against of mining lease but mining should be in proper way and the lease should be responsible for the same	
9.	Sh Nardev Passi, Baddi, Distt. Solan, H.P.	He said that Lease deed should be balanced. Inspection should be carried out to keep watch and vigil of theft/encroachment of mining. If any illegal mining will be noticed near granted lease, the lease shall be responsible for the same.	No Comments

At the end of the public hearing the proceeding was concluded by Additional Deputy Commissioner, Solan, Distt. Solan, H.P. and he said that all the proceeding of public hearing was recorded and the same shall be sent to Govt of India along with photographs and soft copy the public hearing. At last, the Additional Deputy Commissioner thanked the public to participate in this public hearing.

Additional Deputy Commissioner
Solan, Distt. Solan, H.P.